उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

पो0ऑ0 – रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड, पिन कोड–244715

फोन नं0: (05947)-252276, 254275, फैक्स नं0 : (05947)-255021, 252276

email : secy-ubse-uk@nic.in वेबसाइट :www.ubse.uk.gov.in

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर परिषदीय् परीक्षा 2025 की 'परीक्षाफल सुधार परीक्षा' (प्रथम)

शासनादेश संख्या : RTI-312/XXIV-4-2023-01(01)2016 TC, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 4, दिनांक 26 मई 2023 में संलग्न अधिसूचना संख्या : 311/XXIV-4-2023-01(01)2016 TC दिनांक 26 मई 2023 के द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् परिष्कार विनियम 2023" के वर्णित प्राविधानों के क्रम में इस परिषद् द्वारा **हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 एवं केवल कृषि वर्ग के लिये कक्षा 11 सहित) परिषदीय् परीक्षा 2025 मे 'परीक्षाफल सुधार परीक्षा' (प्रथम) का आयोजन किया जा रहा है।**

परीक्षाफल सुधार परीक्षा का स्वरुप

1. हाईस्कूल (कक्षा 10) में परीक्षाफल सुधार परीक्षा –

a. हाईस्कूल स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा परीक्षाफल निर्माण के दृष्टिगत् निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जायेगी–

1. भाषा : हिन्दी
2. भाषा : अंग्रेजी अथवा संस्कृत अथवा उर्दू अथवा पंजाबी अथवा बंगाली में से कोई एक भाषा
3. गणित अथवा गृह विज्ञान (गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिये)
4. विज्ञान
5. सामाजिक विज्ञान
6. अतिरिक्त विषय– केवल मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में ली गयी **भाषा अथवा व्यावसायिक विषय।**

b. हाईस्कूल (कक्षा 10) स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने द्वारा मुख्य परीक्षा में लिये गये उक्त विषयों में से **अधिकतम दो विषयों,** जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा अपेक्षित अंक न प्राप्त कर पाया हो, का चयन कर सकेगा।

c. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल (कक्षा 10) की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा–

i. जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में सम्मिलित हुआ हो तथा अनुत्तीर्ण हुआ हो।

अथवा

जो परीक्षार्थी किसी विषय की मुख्य परीक्षा के प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग में सम्मिलित हुआ हो किन्तु सैद्धान्तिक भाग में चिकित्सकीय अथवा अन्य किसी आकस्मिकता के कारण सम्मिलित न हो पाने के कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो।

ii. परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो किन्तु किसी विषय विशेष में उसका प्रदर्शन अपेक्षित न रहा हो और परीक्षाफल सुधार परीक्षा से अपने उस विषय/विषयों के प्राप्तांकों में सुधार करना चाहता हो।

2 इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 एवं केवल कृषि वर्ग के लिये कक्षा 11 सहित) स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा–

a. इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा उन सभी विषयों/प्रश्नपत्रों में आयोजित की जायेगी, जिनमें मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी।

b. इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने द्वारा मुख्य परीक्षा में लिये गये विषयों में से **किसी एक विषय/प्रश्नपत्र,** जिसमें वह अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा अपेक्षित अंक न प्राप्त कर पाया हो, का चयन कर सकेगा।

c. इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा–

i. जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में सम्मिलित हुआ हो तथा अनुत्तीर्ण हुआ हो।

अथवा

जो परीक्षार्थी किसी विषय/प्रश्नपत्र की मुख्य परीक्षा के प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग में सम्मिलित हुआ हो किन्तु सैद्धान्तिक भाग में चिकित्सकीय अथवा अन्य किसी आकस्मिकता के कारण सम्मिलित न हो पाने के कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो।

ii. परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो किन्तु किसी विषय विशेष में उसका प्रदर्शन अपेक्षित न रहा हो और परीक्षाफल सुधार परीक्षा से अपने उस विषय के प्राप्तांकों में सुधार करना चाहता हो।

3 परीक्षा शुल्क का विवरण–

a. हाईस्कूल स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क रु0 200.00 (रू0 दो सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू0 पचास मात्र) प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क देय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू0 पचास मात्र) प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क देय होगा।

b. **इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क रु0 300.00 (रू0 तीन सौ मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू0 पचास मात्र) प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क देय होगा।** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 150.00 (रू0 एक सौ पचास मात्र) प्रति विषय तथा रु0 50.00 (रू0 पचास मात्र) प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क देय होगा।

c. विद्यालय परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले एक कक्षा के समस्त परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क एक साथ भी चालान द्वारा राजकोष में जमा कर सकेगा। किन्तु कक्षा 10 एवं कक्षा 12 का अलग–अलग चालान द्वारा परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा।

4. परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु अन्य निर्देश–

a. परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिये परीक्षार्थी (संस्थागत/व्यक्तिगत) उस विद्यालय, जहां वह परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत हुआ, के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी उसी अनुक्रमांक के साथ परीक्षा में सम्मिलित होगा, जो उसे मुख्य परीक्षा हेतु आंवटित किया गया था।

b. परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण आवेदक परीक्षार्थियों की संख्या के दृष्टिगत जिला स्तर से प्रस्तावित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र परीक्षार्थयों की संख्या के अनुसार यथासम्भव जनपद अथवा तहसील अथवा विकासखण्ड मुख्यालय में निर्धारित किये जायेंगे।

c. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में केवल लिखित (सैद्धान्तिक) भाग की परीक्षा आयोजित की जायेगी, अर्थात प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग की परीक्षा पुनः आयोजित नहीं की जायेगी।

d. परिषदीय परीक्षा के पाठ्यक्रम या परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन होने की स्थिति में परीक्षाफल सुधार परीक्षा तत्समय प्रचलित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न पर ही आयोजित की जाएगी।

e. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिये गये विषय/विषयों में प्राप्त अंक तथा अन्य विषयों में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित उत्तीर्णता मापदण्डों के अनुसार परीक्षार्थी का संशोधित परीक्षाफल तैयार किया जायेगा।

f. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय/विषयों में सम्मिलित होगा उस विषय/विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक अथवा पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी अधिक हों, को अंतिम अंक मानते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर उसे परिवर्तित अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र निर्गत किया जायेगा और ऐसी स्थिति में उस से पूर्व में परिषद् द्वारा निर्गत अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र वापस ले लिया जायेगा।

g. **परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिषद् द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र में परीक्षाफल सुधार परीक्षा की स्पष्ट अंकना भी की जाएगी।**

h. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही उसका शुल्क भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल यथावत् रहेगा।

i. परीक्षाफल सुधार परीक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षार्थी को अपने परीक्षाफल में सुधार का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है। यदि परीक्षाफल सुधार परीक्षा के आधार पर किसी परीक्षार्थी के अंक अधिक हो जाते हैं तो भी मुख्य परीक्षा के आधार पर परिषद् द्वारा पूर्व में जारी मेरिट लिस्ट, टॉप 1 परसन्टाइल, टॉप 20 परसन्टाइल आदि सूचियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

j. परीक्षा के सम्बन्ध में परीक्षा के आयोजन से परीक्षाफल घोषित होने तक विभिन्न नियम, प्रक्रियाएं एवं उत्तीर्णता मानदण्ड मुख्य परीक्षा के समान ही होंगें।

k. **विनियम के अंतर्गत परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा।**

l. परीक्षाफल सुधार परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का शत–प्रतिशत अंकेक्षण किया जायेगा। अतः **सुधार परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी परीक्षार्थी से प्राप्त होने वाले किसी भी सन्निरीक्षा (स्कूटनी) आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।** परीक्षा में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषित होने के तीन माह के अंदर वीड–आउट कर दी जाएंगी।

5. परीक्षाफल सुधार परीक्षा के अवसर–

a. उक्त क्रमांक 1 एवं 2 पर वर्णित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा के बिन्दु c के उप बिन्दु i में वर्णित अर्हता के आधार पर **परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवश्यकतानुसार संबंधित विषय/विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के तीन अवसर प्रदान किये जाएंगें। प्रथम अवसर मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जायेगा।** प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे निम्न में से किसी एक विकल्प को चुनने का अवसर होगा–

i. परीक्षार्थी प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिए गए विषय/विषयों के साथ दूसरे अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ और तीसरे एवं अंतिम अवसर में आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। **किन्तु ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वितीय एवं तृतीय अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा। परीक्षार्थी को प्रत्येक अवसर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तत्समय निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आवेदन एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क जमा करना होगा। यदि परीक्षार्थी द्वारा तीसरे अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में अपने परीक्षाफल में सुधार नहीं किया जाता है अर्थात वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में वह आगामी वर्ष/वर्षों की परिषदीय परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों के साथ व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही सम्मिलित हो सकेगा।**

अथवा

परीक्षार्थी के पास यह भी विकल्प होगा कि मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद मिलने वाले प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर यदि वह चाहे तो संबंधित वर्ष की हाईस्कूल (कक्षा 10)/इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों के साथ भी परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन

एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा प्रमाणपत्र–सह–अंकपत्र शुल्क जमा करने हेतु उसे प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन का समय परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा।

b. उक्त क्रमांक 1 एवं 2 पर वर्णित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा के बिन्दु बिन्दु **c** के उप बिन्दु ii में वर्णित अर्हता के आधार पर **परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवश्यकतानुसार संबंधित विषय/विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने का केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अवसर केवल मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली परीक्षा में ही प्रदान किया जाएगा।**

c. क्रमांक 1 पर वर्णित हाईस्कूल परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण **परीक्षार्थी को औपबंधिक रूप से कक्षा 11 में प्रवेश की अनुमति होगी परंतु उसका प्रवेश तब ही वैध होगा जब वह परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त प्रथम अवसर (मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद आयोजित होने वाली परीक्षाफल सुधार परीक्षा) में कक्षा 10 उत्तीर्ण होगा।** यदि वह प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसका औपबंधिक प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। इस स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी को उसके द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार सम्बन्धित विषय/विषयों की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के द्वितीय अवसर में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने हेतु या समस्त विषयों के साथ संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने हेतु प्रथम अवसर की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन का समय परिषद् द्वारा प्रदान किया जायेगा। तृतीय अवसर परिषद् द्वारा आगामी मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद प्रदान किया जाएगा।

6. परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025 (प्रथम) हेतु आवेदन का कार्यक्रम–

आवेदन प्रक्रिया निम्न समयसारणी के अनुसार ही सम्पादित की जाएगी। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है अतः इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

क्र0सं0	विवरण	समयावधि	उत्तरदायित्व
1	परीक्षाफल सुधार परीक्षा आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	02 मई 2025 (10:00 AM से)	संस्थाध्यक्ष
2	परीक्षार्थी द्वारा विद्यालय में शुल्क एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	17 मई 2025 (11:00 AM तक)	परीक्षार्थी
3	विद्यालय द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने की अंतिम तिथि	21 मई 2025 (11:59 PM तक)	संस्थाध्यक्ष
4	विद्यालय द्वारा शुल्क राजकोष में जमा करने की अंतिम तिथि	23 मई 2025	संस्थाध्यक्ष
5	विद्यालय द्वारा पूरित आवेदनों की सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	26 मई 2025	संस्थाध्यक्ष
6	पूरित आवेदनों की सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	29 मई 2025	खण्ड शिक्षा अधिकारी
7	पूरित आवेदनों की सूचना परिषद् कार्यालय में जमा करने की तिथि	04 जून 2025	मुख्य शिक्षा अधिकारी

7. परीक्षाफल सुधार परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया–

a. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु परीक्षार्थी अपना आवेदन पत्र (परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप पर) निर्धारित शुल्क सहित अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को निर्धारित अंतिम तिथि तक उपलब्ध करायेगा। परीक्षा शुल्क के बिना एवं अंतिम तिथि के बाद किसी भी परीक्षार्थी से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

b. निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर ऑन–लाइन आवेदन प्रक्रिया संस्था (विद्यालय) के माध्यम से ही सम्पादित की जायेगी, अर्थात परीक्षार्थी का आवेदन उनके अभ्यर्थन की भली–भांति जॉच कर पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही विद्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा के समान ही किया जायेगा।

c. परीक्षाफल सुधार परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया ऑन–लाइन होगी। विद्यालय उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु प्रदत्त आई0डी0 एवं पासवर्ड से ही ऑन–लाइन आवेदन प्रक्रिया सम्पादित कर सकेगे। कोई भी ऑफ–लाइन आवेदनपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

d. विद्यालय द्वारा ऑन–लाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नवत सम्पादित की जाएगी–

i. सर्वप्रथम परिषद की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in** पर जायें। जो पेज खुलेगा उसके दांयी ओर **Board Examination** आइकॉन पर क्लिक करें। पेज खुलने पर **http://ubse.co.in** पर क्लिक कर **Login** करें।

ii. उक्त **Login** करने पर वेबसाइट पर पेज निम्नवत खुलेगा–

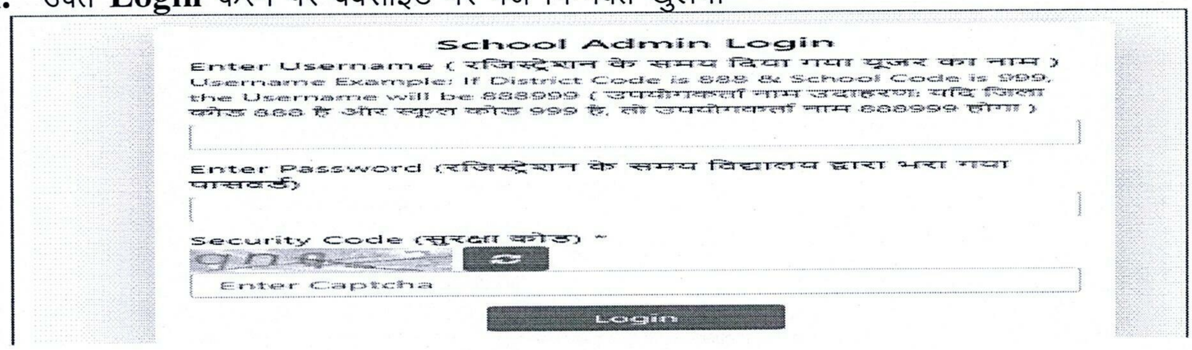

iii. इस पेज पर विद्यालय अपनी 06 अंकीय आईडी **(ID)**,पासवर्ड और कैप्चा अंकित कर **Login** पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला पेज (विद्यालय सामान्य सूचना प्रपत्र) खुलेगा।

iv. पेज के बांयी ओर **'हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट सुधार परीक्षा 2025'** ऑईकॉन पर क्लिक करें।

v. पेज खुलने पर विद्यालय अपने यहां संचालित कक्षाओं के अनुसार हाईस्कूल एवं इण्टर परीक्षा (जिस परीक्षा हेतु भी परीक्षार्थी आवेदन हेतु इच्छुक हों) पर आवश्यक सूचनाएं यथा परीक्षार्थियों की संख्या, कुल जमा शुल्क, शुल्क जमा करने की तिथि आदि का विवरण अंकित कर **SUBMIT** पर क्लिक करें।

vi. उक्त प्रक्रिया सम्पादित होने के उपरांत कक्षा 10 के लिए **High School Add Imp. Student** पर एवं कक्षा 12 के लिए **Intermediate Add Imp. Student** क्लिक करें।

vii. उक्त प्रक्रिया के उपरांत जो पेज खुलेगा उस पर परीक्षार्थी (जो सुधार परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है) के अनुक्रमांक की सावधानीपूर्वक अंकना कर **SUBMIT** पर क्लिक करें। अनुक्रमांक की अंकना के साथ परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग एवं परीक्षाफल का विवरण प्रदर्शित होने लगेगा। **Select Subject** पर क्लिक कर, अत्यधिक सावधानी से ड्रापडाउन बॉक्स से उस विषय/विषयों का चयन करें जिसमें परीक्षार्थी सुधार परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है, उसके उपरांत **SUBMIT** पर क्लीक करें। सूच्य है कि हाईस्कूल स्तर पर अधिकतम दो एवं इण्टर स्तर पर केवल एक विषय की परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकता है।

viii. उक्तवत परीक्षाफल सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त परीक्षार्थियों का विवरण अंकित करने के बाद पेज के बांयी ओर **इण्टरमीडिएट सुधार परीक्षा नॉमिनल रोल प्रिंट/हाईस्कूल सुधार परीक्षा नॉमिनल रोल प्रिंट** पर क्लिक कर उसका प्रिंट प्राप्त कर लें।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
हाईस्कूल (कक्षा 10) परिषदीय् परीक्षा 2025
परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025 (I[st]) में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र
संस्थागत / व्यक्तिगत

1- विद्यालय का नाम : ....

2- परीक्षार्थी का नाम : ....

3- पिता का नाम : ....

4- माता का नाम : ....

5- हाईस्कूल (कक्षा 10) परिषदीय परीक्षा 2025 का अनुक्रमांक :

अंको में : [ ]

शब्दों में : ....

6- परीक्षा परिणाम : उत्तीर्ण [ ] अनुत्तीर्ण [ ]

7- जाति : अनुसूचित जाति / अनु0जनजाति / पिछड़ी जाति / सामान्य

8- दिव्यांग : हॉ [ ] नहीं [ ]

9- विषय / विषयों का नाम
जिनमें सुधार परीक्षा देना चाहता है : 1- [ ]

2- [ ]

10- कुल जमा शुल्क : अंको में : ....शब्दों में : ....

11- घोषणा :

मैं ....पुत्र / पुत्री श्री..
शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि उक्त सभी प्रविष्टियाँ सत्य हैं। मैंने 'परीक्षाफल सुधार परीक्षा' हेतु निर्धारित अर्हताओं एवं दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। मैं हाईस्कूल (कक्षा 10) 'परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025 (I[st])' में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करता / करती हूँ। **मुझे 'परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025 (I[st])' हेतु जारी समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्ते मान्य हैं।**

परीक्षार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

....

नोट : *आवेदन पत्र पर सूचना अंकित कर परीक्षार्थी आवेदन पत्र, निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को निर्धारित अंतिम तिथि 17 मई 2025, 11:00 AM तक उपलब्ध करायेगा। परीक्षा शुल्क के बिना एवं अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।*

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
इण्टरमीडिएट (कक्षा 12 एवं कृषि वर्ग में F1) परिषदीय् परीक्षा 2025
परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025 (I^{st}) में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र
संस्थागत/व्यक्तिगत

1- विद्यालय का नाम : ....

2- परीक्षार्थी का नाम : ....

3- पिता का नाम : ....

4- माता का नाम : ....

5- इण्टर (कक्षा 12) परिषदीय परीक्षा 2025 का अनुक्रमांकः

अंको में : [ ]

शब्दों में : ....

6- परीक्षा परिणाम : उत्तीर्ण [ ] अनुत्तीर्ण [ ]

7- जाति : अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ी जाति/सामान्य

8- दिव्यांग : हॉ [ ] नहीं [ ]

9- विषय/प्रश्नपत्र का नाम

जिनमें सुधार परीक्षा देना चाहता है : 1- [ ]

10- कुल जमा शुल्क : अंको में : ....शब्दों में : ....

11- घोषणा :

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री..

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त सभी प्रविष्टियाँ सत्य हैं। मैंने 'परीक्षाफल सुधार परीक्षा' हेतु निर्धारित अर्हताओं एवं दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। मैं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) 'परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025 (I^{st})' में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करता/करती हूँ। **मुझे 'परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2025 (I^{st})' हेतु जारी समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्ते मान्य हैं।**

परीक्षार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

....

नोट : *आवेदन पत्र पर सूचना अंकित कर परीक्षार्थी आवेदन पत्र, निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को निर्धारित अंतिम तिथि 17 मई 2025, 11:00 AM तक उपलब्ध करायेगा। परीक्षा शुल्क के बिना एवं अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।*